तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/7/18	जगवती पक्ष की ओर से पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। दावा वादी खारिज किये जाने के विरुद्ध किये गये पृथक से विरोध पत्रों का०मी० विरु 21/17 पर वादी के उत्तर में दोनों विरोध पत्रों पर सुनवाई। SDO/S

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/47/2015

वउनवान

1. बाबू पुत्र मूला जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादी

बनाम

1. अजीतसिंह पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
2. रघुवीर पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
3. रामचन्दर पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

----- असल प्रतिवादीगण

4. सूपरिया पुत्र मूला जाति जाट निवासी कठूमर

--- तर0 प्रतिवादी

उपस्थित :–

श्री औमवीरसिंह चौधरी एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय दिनांक 02.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1388 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। जो साविक खसरा नम्बर 1028 मिन रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम कठूमर से बनाया गया है। उपरोक्त विवादित आराजी वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 के बाबा कुन्दन पुत्र किरोडी जाति जाट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 के बाबा कुन्दन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

काविज रहकर का त करते चले आ रहे है तथा जमाबन्दी संवत् 2019 में वादी के पिता कुन्दन के नाम आराजी मुतनाजा की खातेदारी दर्ज है तथा उनके फौत होने पर वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 आराजी मुतनाजा पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण वो उनके पिता छोटे का आराजी मुतनाजा से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। विवादित आराजी पर हमेशा से वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बन्दोवस्त विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से असल प्रतिवादीगण के पिता छोटे का नाम आराजी मुतनाजा में 1/2 हिस्से पर दर्ज कर दिया जवकि बन्दोवस्त विभाग को पुराने इन्द्राज को रिपीट करते हुये आराजी मुतनाजा को तन्हा वादी के बाबा कुन्दन की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। बन्दोवस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज बदलने का कोई हक वो अधिकार नहीं था। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी वावत इन्द्राज को दुरूस्त कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा रहन वय करने को उतारू है। प्रतिवादीगण मना करने से नहीं मान रहे है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादी व तरतीवी प्रतिवादी को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः वादी ने विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा को कलमजन कराकर विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी में घोषित कराने व प्रतिवादीगण को पावन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने हाजिर होकर अपना जवाव दावा पेश किया। जो संलग्न दावा है। प्रतिवादीगण व उनके वकील दिनांक 14.01.2016 को हाजिर अदालत नहीं हुये इस वजह से उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 प्रदर्श–1, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2019 प्रदर्श 5 ग्राम कठूमर की सत्य प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी बाबू पी डब्ल्यू 1 गवाह जुम्मा पी डब्ल्यू 2 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताविक जमाबन्दी ग्राम कठूमर संवत् 2058 से 2061 के खसरा नम्बर 1388 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा सूपरिया पुत्र मूला कौम जाट हिस्सा 1/4 बाबू पुत्र मूला 1/4 अजीतसिह, रघुवीरसिंह, रामचन्दर पुत्रान छोटे समान भाग 1/2 हिस्सा सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताविक मिलान क्षैत्रफल मौजा कठूमर संवत् 2028 के साविक खसरा नम्बर 1028 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1042 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा एंव खसरा नम्बर 1388 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम कठूमर बनना सावित है। मुताविक जमाबन्दी (खतौनी) बन्दोबस्त संवत् 2028 के खाता संख्या 211 पर खसरा नम्बर 1388 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा कुन्दन छोटे पि0 किरोडी वगैरा जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताविक जमाबन्दी ग्राम कठूमर संवत् 2019 के खाता संख्या 1 मजकूर पर खसरा नम्बर 1028 मिन दक्षिण रकवा 2 वीघा 4 विस्वा कुन्दन पुत्र किरोडी जाति जाट सा0 देह खातेदार (मालिक) दर्ज है। मुताविक दस्तावेज प्रतिवादी नकल जमाबन्दी (खेबट खतोनी) ग्राम कठूमर संवत् 2015 के खाता संख्या 129 पर खसरा नम्बर 1028 रकवा 4 वीघा 7 विस्वा कुन्दन छोटे समान भाग हिस्सेदार खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताविक विकय पत्र 167 दिनांक 23.06.1976 विक्रेता कुन्दन पुत्र किरोडीलाल द्वारा खसरा नम्बर 1042 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा का विकय क्रेता अजीतसिंह रघुवीरसिंह रामचन्द्र पिता छोटेलाल जाट कठूमर को किया जाना सावित है। प्रतिवादीगण की सहखातेदारी हिस्सा 1/2 में दर्ज खसरा नम्बर 1388 रकवा 2 वीघा 2

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विस्वा पर वादी का वाद सावित नहीं होता है। अतः वाद वादी सावित ना होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी वावत आराजी खसरा नम्बरा 1388 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 02.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/47/2015

वउनवान

1. बाबू पुत्र मूला जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ डिक्रीदार

बनाम

1. अजीतसिंह पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
2. रघुवीर पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
3. रामचन्दर पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

----- असल मदयून

4. सूपरिया पुत्र मूला जाति जाट निवासी कठूमर

---तर 0मदयून

दावा इस्तकरारहक वो हुकमइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी वावत आराजी खसरा नम्बरा 1388 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner